रेल्वे दावा न्यायाधिकरण

जयपुर पीठ; जयपुर

RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
JAIPUR BENCH; JAIPUR

Claim Application: OA/II (u)/JP/39/2023

CORAM: Mr. G.S. Hira, Hon'ble Member (Technical)
Mr. Rajeev Jain, Hon'ble Member (Judicial)

Date of filing :17.03.2023
Judgment reserved on :07.05.2026
Judgment pronounced on :18.05.2026

1. ***Smt. Indra**, aged 31 years.*
   w/o Late Sh. Sahiram.

2. ***Dali**, aged 09 years.*
   d/o Late Sh. Sahiram.

3. ***Gayatri**, aged 06 years.*
   d/o Late Sh. Sahiram.

4. ***Pinki**, aged 2.5 years.*
   d/o Late Sh. Sahiram.

5. ***Smt. Radha**, aged 57 years.*
   w/o Late Sh. Likharam.

Applicant No. 02 to 04 being minor,
through natural guardian, mother, applicant No. 1

All are R/o Ward No. 1, Bapeu, Distt. Bikaner (Raj.)

...Applicants

Versus

***Union of India**, Through General Manager, North Western Railway, Jaipur.*

... Respondent

Claim for Rs. 8,00,000/- along with interest

Scanned with OKEN Scanner

Appearances: Sh. Rajesh Panda, Ld. Counsel for the applicants.
Sh. Vivek Choudhary, Ld. Counsel for the respondent.

निर्णय

JUDGMENT

(Per G.S. Hira, Member (Technical))

1. This claim application has been preferred before this Tribunal on behalf of the wife, daughters and mother of the deceased, being the only dependants, under Section 16 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 read with section 125 of the Railway Act, 1989 claiming compensation of Rs. 8,00,000/- along with interest @ 18% per annum on account of death of Shri Sahiram (hereinafter to be referred as "the deceased").

2. The brief facts as stated by the applicants in the claim application are that

   i. *"यह कि मृतक सहीराम दिनांक 25-08-2022 को बाबा रामदेवजी के दर्शन करने एवं पैदल यात्री जत्थे (संघ) की सेवा हेतु पैदल जत्थे के साथ गया था तथा बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के बाद घर आने के लिए दिनांक 02-09-2022 को रेलवे स्टेशन रामदेवरा आया।*

   ii. *यह कि मृतक सहीराम ने रामदेवरा से एक द्वितीय श्रेणी का मेल/एक्सप्रेस का यात्रा टिकिट नम्बर UDA 8423715। रामदेवरा से कोलायत का दिनांक 02-03-2022 को खरीदा। मृतक सहीराम दिनांक 02-09-2022 को उपरोक्त यात्रा टिकिट पर रामदेवरा से कोलायत की यात्रा के लिए रामदेवरा स्टेशन पर खडी गाड़ी संख्या 14703 जैसलमेर-लालगढ़ एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में चढा। गाडी के डिब्बे में मेले की वजह से यात्रियों की अत्यधिक भीड़ होने की वजह से सहीराम को डिब्बे के गेट के पास गेलरी में खड़े होने की वजह मिली। गाड़ी के अकस्मात चल देने से सहीराम उक्त गाड़ी के डिब्बे में से रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर ही नीचे गिर गया, इस प्रकार अकस्मात ट्रेन के डिब्बे में से नीचे गिरने से सहीराम के दोनों पैरों में गम्भीर चोट आयी तथा सिर एवं शरीर के अन्य भागों पर भी गम्भीर चोटें आयी। घटना की सूचना स्टेशन मास्टर, रामदेवरा द्वारा जी.आर.पी. व आर.पी.एफ. को दी गई। सूचना प्राप्त होने पर जी.आर.पी. व आर. पी.एफ.*

Scanned with OKEN Scanner

कर्मी मौके पर पहुंचे। सहीराम को घटना स्थल से घायल अवस्था में उठाकर स्टेशन पर स्टेशन पर रामदेवरा की वजह से मौजूद मेडिकल टीम को दिखाया तथा मरहम पट्टी करवायी एवं उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय, रामदेवरा ले जाया गया, जहां सहीराम का प्राथमिक उपचार किया गया। जी.आर. पी. द्वारा घटना की सूचना परिवारजन को दी गई। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजन पहुंचें सहीराम को आगे उपचार हेतु रैफर करने पर परिवारजन द्वारा सहीराम को पी.बी.एम. हॉस्पिटल, बीकानेर ले जाया गया, जहां सहीराम का प्राथमिक उपचार कर आगे ईलाज हेतु सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के लिए रैफर कर दिया। परिवारजन द्वारा सहीराम को दिनांक 03-09-2022 को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के ट्रोमा वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां सहीराम के दोनों पैरों का ऑपरेशन कर दाया पैर घुटने के नीचे से व बायां पैर घुटने के ऊपर से काट दिया गया। सहीराम के ट्रेन से गिरने से आयी गम्भीर चोटों के कारण दौराने उपचार दिनांक 27-09-2022 को प्रातः सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में ही मृत्यु हो गई। जी.आर.पी. द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के बाद एवं मृतक की लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद मृतक सहीराम की लाश अंतिम दाह संस्कार हेतु मृतक के ताऊ के लड़के श्री जीवनराम को सुपुर्द कर दी। परिवारजन मृतक सहीराम की लाश लेकर दिनांक 27/28-09-2022 की मध्य रात्रि में घर पहुंचे, जहां दिनांक 28-09-2022 को मृतक सहीराम की लाश का अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया। मृतक के परिवारजन द्वारा आवश्यक कार्यवाही के दौरान जी.आर. पी. को मृतक की रेल यात्रा टिकिट सुपुर्द की गई, जिसे जी.आर.पी. द्वारा जरिये फर्द जब्त किया गया।

iii. यह कि मृतक सहीराम ने रामदेवरा से एक द्वितीय श्रेणी का मेल/एक्सप्रेस का यात्रा टिकिट नम्बर UDA 84237151 रामदेवरा से कोलायत का दिनांक 02-09-2022 को खरीदा। मूल यात्रा टिकिट जी.आर.पी. चौकी, फलौदी की अभिरक्षा में है। मृतक सहीराम घटना के दिन ट्रेन का सद्भावी यात्री था।"

(Reproduced as Verbatim)

The applicants have claimed that the deceased was a bonafide passenger of the train. Thus, claiming them to be the only dependents of the deceased, applicants have sought compensation alongwith interest from the respondent railways.

3. On receipt of the notice, the respondent Railway Administration appeared before the Tribunal and filed written statement and DRM's Report along with documents relating to the alleged incident. The respondent in the written statement denied the averments made by the applicants in the claim application and stated that the said incident is not covered under the Railways Act. In the written statement respondent has stated that

प्रारम्भिक आपतियां

1. "यह कि घटना के तुरन्त बाद स्टेशन मास्टर धर्मेन्द्र कुमार व हैड कानिस्टेबल मोहन राम द्वारा घायल सहीराम के कपड़ों व उसके बैग की तलाशी लेने पर टिकिट नम्बर UDA44905179 & UTS No. सीएसडीबीई 058 डबली राठाना से लालगढ़ के टिकिट मिले जो दिनांक 01.09.2022 को जारी थी। मृतक के पास दिनांक 02.09.2022 को गाडी संख्या 14703 में जाने के लिए रामदेवरा से कोलायत का कोई टिकिट नहीं था। अतः हस्तगत प्रकरण अनुचित लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से झूठे व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है।

2. यह कि घटना दिनांक 02.09.2022 की है और घटना दिनांक को की गई तत्काल तलाशी कार्यवाही के दौरान सहीराम के कपड़ों व बैग से दिनांक 02.09.2022 का रामदेवरा से कोलायत का कोई टिकिट बरामद नहीं हुआ है। केवल दो पुरानी टिकिटे बैग की तलाशी में पायी गई, जबकि सहीराम उस समय केवल घायल था और चेतन अवस्था में था। अगर टिकिट होती तो बता सकता था, इसलिए क्लेम याचिका में वर्णित टिकिट घटना के 42 दिनों के बाद व मृतक की मृत्यु के 17 दिनों बाद पुलिस को मृतक के ससुर गंगाराम द्वारा यह कहते हुए पेश करना कि मृतक सहीराम ने पी.बी.एम. अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उक्त टिकिट उसे दे दी थी और उक्त टिकिट की दिनांक 14.10.2022 को फर्द जब्ति बनाना इस ओर इंगित करता है कि पुलिस से मिलीभगत कर टिकिट मैनेज कर फर्द जब्ति बनायी गई है। इसलिए उक्त प्रकरण खारिज किए जाने योग्य है।

3. यह कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रेलवे सुरक्षा बल के ऑन ड्यूटी हैड कानिस्टेबल श्री मोहन राम ने अपने बयानों में बताया कि गाडी संख्या 14703 जैसे ही रामदेवरा स्टेशन पर आयी उसी दौरान एक व्यक्ति गाडी के विपरित दिशा (Off Side) की तरफ से भागा व सीट रोकने के चक्कर में बोगी में चढ़ने लगा तो स्लिप हो गया तथा गेट पर लगे हत्थे को पकड़े घीसटता हुआ चला गया। यात्रीयों का हल्ला-गुल्ला सुनकर लोको पायलेट द्वारा गाडी को रोका गया। उक्त बयान की पुष्टि निरीक्षण रजिस्टर, स्टेशन

अधीक्षक रामदेवरा व गाड़ी संख्या 14703 के लोको पायलेट और गार्ड के बयानों और पारूप 1 व 2 में दिए गए घटना के विवरण से भी होती है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक स्वयं जानबूझकर सीट रोकने की नियत से ऑफ साईड से रामदेवरा स्टेशन पर ट्रेन के रूकने से पहले ही चलती हुई ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में घायल हो गया। मृतक का उक्त कृत्य रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 क के परन्तुक (ख) और (ग) के अधीन होने से उक्त घटना अनापेक्षित घटना की श्रेणी में नहीं आती है, जिससे प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

4. यह कि मृतक सहीराम की पत्नी प्रार्थिया संख्या 1 ने अपने स्वयं के दिए गए बयानों में बताया कि मेरे पिता जी गंगाराम तथा ससुराल वाले अस्पताल गए हुए थे, जिन्होंने मेरे पति से बात करवायी तो उसके पति ने बताया कि जैसलमेर-लालगढ़ एक्सप्रेस में चढ़ रहा था तथा चढ़ते समय चलती ट्रेन से गिर गया था। प्रार्थिया संख्या 1 के बयानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में घायल हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। इसलिए क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना का ब्यौरा माननीय न्यायालय को गुमराह कर मनगढ़न्त, झूठा व बनावटी है, जो अनुचित क्लेम प्राप्त करने की नियत से ऑफ्टरथॉट द्वारा दिया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

5. यह कि घटना दिनांक 02.09.2022 की है और मृतक की मृत्यु दिनांक 27.09.2022 को हुई है। जिसका कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इनफेक्शन होना है, जिससे स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु ईलाज के दौरान हुई लापरवाही से इनफेक्शन फैलने के कारण हुई है, जो अनापेक्षित घटना की श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए डेथ क्लेम के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है। इसलिए यह क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।
यह कि जांच रिपोर्ट के अनुसार मृतक के पास लूणी से जोधपुर तक दिनांक 19.2.2025 का रेल यात्रा टिकट पाया गया था पर मृतक ने बासनी रेलवे स्टेशन पर गाडी के ऑफ साईड मे जानबूझकर गाडी के नीचे घुसने के कारण आत्महत्या की है जो घटना अनापेक्षित घटना की श्रेणी में नहीं आती है।"

(Reproduced as Verbatim)

Therefore, the claim of the applicants is not admissible as the alleged incident is not an untoward incident.

4. On the basis of pleading of the parties, documents on record, and after hearing counsel for the parties on 16.06.2023 following issues were formulated for adjudication: -

Scanned with OKEN Scanner

1. Whether the deceased was travelling on a valid railway journey ticket and was a bonafide passenger of the train No. 14703 Jaisalmer-Lalgarh Express?

2. Whether the deceased met with an untoward incident due to fall from the passenger carrying train, suffered injuries and died as a result thereof and if the present case is covered under the definition of section 123(c)(2) read with section 124 A of the Railways Act, 1989?

3. Whether the applicants are the sole dependents of the deceased and are entitled to compensation as claimed under Para-VII of the claim application?

4. Amount of relief, if any admissible?

5. In the evidence, Smt. Indra (AW-1) and Gangaram Godara (AW-2) filed their affidavits towards examination-in-chief.

6. The respondent-Railway has also filed DRM Report along with annexed documents.

7. The respondent has filed the DRM's report stated herein:

"1. जाँच रिपोर्ट के अनुसार मृतक महीराम पुत्र श्री लिखमाराम, उम्र 32 वर्ष, धर्म-हिन्दु, निवासी बापेऊ श्री डुंगरगढ़ सेरूणा जिला-बीकानेर, राजस्थान का होना पाया गया।

02. उक्त घटना के सम्बन्ध में राजकीय रेलवे पुलिस थाना-जोधपुर पर मर्ग संख्या 53/2022 अन्तर्गत धारा 174 सीआरपीसी के तहत दिनांक 14.10.2022 को दर्ज किया गया।

03 जाँच रिपोर्ट के अनुसार मृतक के पास कोई वैध रेल यात्रा संबंधी टिकिट / पास/ प्राधिकार पत्र नहीं पाया गया व ना ही घटना के दिन ट्रेन में यात्रा करना पाया गया।

04. जाँच रिपोर्ट के अनुसार मृतक महीराम पुत्र श्री लिखमाराम दिनांक 02.09.2022 को रेलवे स्टेशन रामदेवरा यार्ड के किमी० संख्या 180/9 पर चलती गाडी संख्या 14703 में ऑफ साइड से चढ़ने के प्रयास के दौरान गिरकर घायल होने व दौराने ईलाज मृत्यु होना पाया गया।

निष्कर्ष: श्रीमानजी जाँच पत्रावली में मृतक सहीराम पुत्र श्री निम्बाराम दिनांक 02.09.2022 को रेलवे स्टेशन रामदेवरा यार्ड के किमी० संख्या 180/9 पर चलती गाड़ी संख्या 14703 में ऑफ साइड से चढ़ने के प्रयास के दौरान गिरकर घायल होने व दौराने ईलाज मृत्यु होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट के अनुसार मृतक के पास रेल यात्रा संबंधी कोई वैध टिकिट / पास/प्राधिकार पत्र नहीं पाया गया व ना ही घटना के दिन ट्रेन में यात्रा करना पाया गया, जो कि रेल का सद्भावी यात्री नहीं था। अतः मृतक का अनाधिकृत रूप से चलती गाड़ी संख्या 14703 में ऑफ साइड से चढ़ने का प्रयास करना मृतक स्वयं का आपराधिक कृत्य है। घटना में रेलवे की कोई गलती नहीं है। उक्त घटना मृतक स्वयं के आपराधिक कृत्य के कारण घटित हुई है, जो रेल अधिनियम की धारा 124 (क) के उपखण्ड (ख) व (ग) के तहत अनपेक्षित घटना की श्रेणी में नहीं आती है।"

(Reproduced as Verbatim)

8. We have carefully gone through the pleadings of the parties, material made available on record, evidence adduced on behalf of applicants/respondent and heard the arguments advanced on behalf of rival parties by their Counsel. Our findings on the aforesaid issues are as under:

FINDINGS

Issue No.1 & 2

9. In the evidence, Smt. Indra (AW-1) filed her affidavit towards examination-in-chief.

*a) यह कि मेरे पति मृतक सहीराम दिनांक **25-08-2022** को बाबा रामदेवजी के दर्शन करने एवं पैदल यात्री जत्थे (संघ) की सेवा हेतु पैदल जत्थे के साथ गये थे तथा बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के बाद घर आने के लिए दिनांक **02-09-2022** को रेलवे स्टेशन रामदेवरा आये।*

*b) यह कि मेरे पति मृतक सहीराम ने रामदेवरा से एक द्वितीय श्रेणी का मेल/एक्सप्रेस का यात्रा टिकिट नम्बर **UDA 84237151** रामदेवरा से कोलायत का दिनांक **02-09-2022** को खरीदा। मेरे पति दिनांक **02-09-2022** को उपरोक्त यात्रा टिकिट पर रामदेवरा से कोलायत की यात्रा के लिए रामदेवरा स्टेशन पर खड़ी गाड़ी संख्या **14703** जैसलमेर-लालगढ़ एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में चढ़े। गाड़ी के डिब्बे में मेले की वजह से यात्रियों की अत्यधिक भीड़ होने की वजह से मेरे पति को डिब्बे के गेट के पास गेलरी में खड़े होने की जगह मिली। गाड़ी के अकस्मात चल देने से मेरे पति उक्त गाड़ी के डिब्बे में से रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर*

ही नीचे गिर गये, इस प्रकार अकस्मात ट्रेन के डिब्बे में से नीचे गिरने से मेरे पति के दोनों पैरों में गम्भीर चोटे आयी तथा सिर एवं शरीर के अन्य भागों पर भी गम्भीर चोटें आयी। घटना की सूचना स्टेशन मास्टर, रामदेवरा द्वारा जी आर.पी. व आर.पी.एफ. को दी गई। सूचना प्राप्त होने पर जीआर.पी. व आर.पी.एफ. कर्मी मौके पर पहुंचे। मेरे पति को घटना स्थल से घायल अवस्था में उठाकर स्टेशन पर रामदेवरा की वजह से मौजूद मेडिकल टीम को दिखाया तथा मर्हम पट्टी करवायी एवं उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय, रामदेवरा ले जाया गया, जहां मेरे पति का प्राथमिक उपचार किया गया।

c) यह कि जी.आर.पी. द्वारा घटना की सूचना हम परिवारजन को दी गई। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजन पहुंचे तथा मेरे पति को आगे उपचार हेतु पी.बी.एम. हॉस्पिटल, बीकानेर ले जाया गया, जहां मेरे पति का प्राथमिक उपचार कर आगे ईलाज हेतु सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के लिए रैफर कर दिया। परिवारजन द्वारा मेरे पति को दिनांक 03-09-2022 को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के ट्रोमा वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां मेरे पति के दोनों पैरों का ऑपरेशन कर दायां पैर घुटने के नीचे से व बायां पैर घुटने के ऊपर से काट दिया गया। मेरे पति के ट्रेन से गिरने से आयी गम्भीर चोटों के कारण दौराने उपचार दिनांक 27-09-2022 को प्रातः सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में ही मृत्यु हो गई। जी.आर.पी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के बाद एवं लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद मेरे पति की लाश अंतिम दाह संस्कार हेतु मेरे जेठ के लड़के श्री जीवनराम को सुपुर्द कर दी। परिवारजन मेरे पति द्वारा दिनांक 28-09-2022 को मेरे पति की लाश का अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया। परिवारजन द्वारा आवश्यक कार्यवाही के दौरान जी.आर.पी. को मेरे पति की रेल यात्रा टिकिट सुपुर्द की गई, जिसे जी.आर.पी. द्वारा जरिये फर्द जब्त किया गया। मेरे पति मृतक सहीराम घटना के दिन ट्रेन के सद्भावी यात्री थे।"

(Reproduced as Verbatim)

10. She was duly cross-examined on 02.11.2023 Smt. Indra (AW-1) has deposed in her cross-examination that

"घटना के दिन मैं अपने पति के साथ यात्रा नहीं कर रही थी। मैंने अपने पति को रेल यात्रा टिकट लेते, गाड़ी में चढ़ते या गिरते अपनी आंखों से नही देखा। मुझे घटना की सूचना टेलीफोन के द्वारा मेरे मोबाइल फोन पर दी गई थी। सूचना मिलने के उपरांत मैं अपने पति को देखने अस्पताल में नहीं गई थी। मेरे पति की मृत्यु इलाज के दौरान पच्चीस दिन बाद अस्पताल में हुई थी। मेरे पति के आश्रितों में जो व्यक्ति है उनका नाम मैंने अपने शपथ पत्र के पैरा चार में वर्णित किया है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को

नहीं जानती जो मेरे पति के साथ दुर्घटना वाले दिन यात्रा कर रहा हो। मैं अपने पति को देखने दौराने इलाज अस्पताल नहीं गई थी। घटना के बाद आरपीएफ वाले मेरे घर पर मेरे बयान लेने आए थे। गवाह को उसके द्वारा आरपीएफ को दिए गए बयान दिखाए गए जिस पर गवाह ने अपनी अंगूठा निशानी पोईंट ए पर पहचानी। बयान को प्रदर्श एडब्यतू 1/1 प्रदर्शित किया गया। जब आरपीएफ ने मेरा बयान दर्ज किया था तब उस वक्त मेरी सास भी वहां मौजूद थी। मैं नहीं बता सकती कि मेरे पति के घायल शरीर से कोई रेल यात्रा टिकट दिनांक 02.09.2022 का बरामद हुआ हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पति घटना के समय रेल के वैध यात्री न हो।"

(Reproduced as Verbatim)

11. In another evidence, Gangaram Godara (AW-2) filed his affidavit towards examination-in-chief.

a) यह कि मेरा जंवाई मृतक सहीराम बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए रामदेवरा गये थे।

b) यह कि जी.आर.पी. अस्थाई चौकी, रामदेवरा से दिनांक 02-09-2022 को मेरे मोबाईल पर सूचना आयी कि सहीराम ट्रेन से गिरकर गम्भीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार हेतु पी.बी.एम. हॉस्पिटल, बीकानेर ले जा रहे हैं, आप तुरन्त अस्पताल पहुंचो। उक्त सूचना प्राप्त होने पर मैं अस्पताल पहुंचा, वहां मेरा जंवाई भर्ती था। मेरे जवाई सहीराम ने मुझे अपना रेल यात्रा टिकिट अस्पताल में दे दिया था, जिसे मैंने अपने पास रख लिया था। पी बी. एम हॉस्पिटल, बीकानेर से मेरे जंवाई को आगे ईलाज हेतु सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के लिए रैफर कर दिया। हम परिवारजन द्वारा मेरे जंवाई को दिनांक 03-09-2022 को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के ट्रोमा वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहा मेरे जंवाई पैरो का ऑपरेशन किया गया। मेरे जंवाई के ट्रेन से गिरने से आयी गम्भीर चोटो के कारण दौराने उपचार दिनांक 27-09-2022 को प्रातः सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में ही मृत्यु हो गई। जी.आर.पी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के बाद एवं लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद मेरे जंवाई की लाश अंतिम दाह संस्कार हेतु मेरी पुत्री के जेठ के लड़के श्री जीवनराम को सुपुर्द कर दी।

c) यह कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मेरा जंवाई मृतक सहीराम दिनांक 02-09-2022 को रामदेवरा से एक द्वितीय श्रेणी का मेल/एक्सप्रेस का यात्रा टिकिट नम्बर UDA 84237151 रामदेवरा से कोलायत का दिनांक 02-09-2022 को खरीद कर गाड़ी संख्या 14703 जैसलमेर-लालगढ़ एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में चढ़ा, गाडी के अकस्मात चल देने से मेरा जंवाई उक्त गाड़ी के डिब्बे में से

Scanned with OKEN Scanner

रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर ही नीचे गिर गया, जिससे मेरे जवाई के दोनों पैरों मे गम्भीर चोटे आयी तथा सिर एवं शरीर के अन्य भागों पर भी गम्भीर चोटे आयी।

d) यह कि मेरे जंवाई मृतक सहीराम द्वारा अस्पताल में मुझे दिया गया रेल यात्रा टिकिट मेरे द्वारा जी.आर.पी. को सुपुर्द कर दिया गया, जिसे जी.आर.पी. द्वारा जरिये फर्द जब्त किया गया। मेरा जंवाई मृतक सहीराम घटना के दिन ट्रेन का सद्‌भावी यात्री था।"

(Reproduced as Verbatim)

12. He was duly cross-examined on 13.06.2024 Gangaram Godara (AW-2) has deposed in his cross-examination that

"मृतक मेरा जवाई था। टिकट मृतक ने स्वयं ईलाज के दौरान अस्पताल में दी थी। टिकट 3.09.22 को मेरे जवाई ने मुझे दी थी। टिकट मैने पुलिस को 3 तारीख को नहीं दी फिर घर पर पूछताछ के लिए आये तो टिकट सुपुर्द कराई। घटना के बारे सुचना पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि धक्का लगने से आपका जवाई गिर गया। यह कहना सही है कि दौरान ईलाज संक्रमण (इन्फेक्शन) फैलने से हुई। यह कहना गलत है कि टिकट कहीं से प्राप्त करके मुवावजा प्राप्त करने के लिए पुलिस को सुपुर्द की गई।"

(Reproduced as Verbatim)

13. In cross-examination of Sh. Ramlal, Retd. Head Const./Marwarlohvat on 11.12.2025 :

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राजेश पंवा वकील वादी

"मैं अक्टूबर 2022 में जीआरपी, थाना जोधपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ था। मुझे दिनांक 02.09.2022 को रामदेवरा रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ट्रेन चढ़ते वक्त गिर गया। थाना पर सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी /आरपीएफ मौके पर पहुँची थी. आहत व्यक्ति को उसके परिजन एवं आरपीएफ / जीआरपी सीएचसी. रामदेवरा, अस्पताल लेकर गये, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ। इसके उपरांत मृतक के परिचित उसके बीकानेर पीबीएम, अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीकानेर अस्पताल से उसे एसएमएस अस्पताल में दिनांक 03.09.2022 को भर्ती करवाया था और दिनांक 27.09.2022 को उसकी मृत्यु हो गई थी। दिनांक 27.09.2022 को सूचना मिलने पर थाना, एसएमएस, जयपुर के द्वारा 00 मर्ग दर्ज किया था एवं विवेचना के दौरान लाश की लिखा पढी कर दिनांक 27.09.2022 को पंचायतनामा बनाया गया था। मृतक का शव परिक्षण एसएमएस, अस्पताल जयपुर में करवाया गया था। थाना एसएमएस से सूचना प्राप्त होने के उपरांत मैंन थाने में उपस्थित होकर शव परिक्षण रिपोर्ट एवं नक्शा पंचायतनामा प्राप्त किया।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में अनवेषण मैंने दिनांक 11.10.2022 को प्रारम्भ किया था। मैंने अनवेषण के दौरान मृतक की पत्नी इंद्रा, माता राधा, ससुर गंगाराम, पड़ौसी दीपाराम, गामराज, भांजा-भागुसिंह, चाचा का बेटा रामलाल, जीवनराम, आरपीएफ रामदेवरा- मोहनराम के कथन अंकित किये थे। अनवेषण के दौरान मैंने दिनांक 11.10.2022 को यात्रा टिकिट मृतक का ससुर गंगाराम के पेश करने पर जब्त किया था। जब्ती की कार्यवाही मृतक के ससुर गंगाराम के घर पर ही की थी। मैंने मृतक के ईलाज के एसएमएस अस्पताल से प्राप्त कर डायरी के साथ संलग्न किये थे। मर्ग क्रमांक 53/22 एसएचओ, किशनसिंह चारण के द्वारा दर्ज किया गया था। अनवेषण के दौरान मैंने साक्षीगण धर्मेंद्र कुमार स्टेशन मास्टर रामदेवरा, मुखाराम कांस्टेबल, लोको पायलेट अजय कुमार, गार्ड राजकंवर, बाबूलाल मृतक का साला के कथन अंकित किये थे। अंतिम जांच प्रतिवेदन मेरे द्वारा लेखबद्ध कर एसएचओ के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया था। उपरोक्त मर्ग क्रमांक 53/2022 की डायरी मूल एवं सत्यपित प्रति में साथ लेकर आया हूँ (सत्यापित प्रति रिकार्ड पर लेकर सम्पूर्ण डायरी को समलित प्रदर्श ए-19 को किया गया)। अंतिम जांच प्रतिवेदन में मैंने लेख किया है कि मृतक घटना दिनांक 02.09.2022 को ट्रेन लीलण एक्सप्रेस में रामदेवरा स्टेशन पर चढ़ते समय अत्याधिक भीड़ के कारण गिरकर घायल हुआ एवं ईलाज के दौरान दिनांक 27.09.2022 को एसएमएस, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मैंने मृतक के ससुर से यात्रा टिकिट दिनांक 11.10.2022 को जब्त कर जब्ती पत्र प्रदर्श ए-16 बनाया था। जब्ती पत्र की प्रति ए-16 प्रकरण में पूर्व में संलग्न है। टिकिट जब्त किया जाना मैंने द्वारा तफतिशी में दर्ज किया है। जब्ती पत्र प्रदर्श ए-16 पर दिनांक लिखना इस लिए छुट गया था कि मृतक की पत्नि के द्वारा जांच के कागजात मांगे गये थे, समस्त कागजातो की प्रति उन्हे दे दी थी परंतु भुलवश दिनांक लिखना रह गया था। मर्ग डायरी में संलग्न जब्ती पत्र में दिनांक 11.10.2022 दर्ज है।"

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विवेक चौधरी वकील प्रतिवादी</u>

"दिनांक 11.10.2022 को की गई कार्यवाही मेरे द्वारा चौकी के रोजनामचा में दर्ज की गई थी। रोजनामचा की प्रति डायरी के साथ संलग्न नहीं है।

<u>कोर्ट द्वारा-</u>

प्रश्न- मृतक की पत्नि के द्वारा दस्तावेज प्राप्त करने का आवेदन किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था?

उत्तर दिनांक 12.10.2022 |

प्रश्न आपको जांच के दौरान ऐसी कोई जानकारी मिली थी क्या मृतक का ससुर साथ में यात्रा कर रहा था क्या?

उत्तर - नहीं।

प्रश्न- क्या ससुर ने अपने बयानो में यह बताया था कि यात्रा टिकिट उसे कहां से प्राप्त हुआ था?

उत्तर - मृतक के ससुर ने अपने बयानो में बताया है कि अस्पताल में मृतक के द्वारा यात्रा टिकिट उन्हें दिया गया था।"

(Reproduced as Verbatim)

14. The Respondent railway has filed the affidavit of Sh. Mohan Ram, Head Const./RPF, Out Post Ramdevra, Jaisalmer (RW-1) as under :

1. यह कि दिनांक 02.09.2022 को मेरी ड्यूटी पारी 08:00 से 16:00 बजे में प्लेटफार्म, पीआरएस / सीए में बतौर यात्री सुरक्षा में थी।

2. यह कि मेरी ड्यूटी के दौरान गाडी संख्या 14703 जैसलमेर लालगढ़ एक्सप्रेस के आगमन पर मेला यात्रियो की भीड को मद्यनजर रखते हुए ड्यूटी कर रहा था। गाडी जैसे ही रामदेवरा स्टेशन प्लेटफार्म पर आयी, उसी दौरान एक यात्री गाडी/प्लेटफार्म के विपरीत (दूसरी दिशा) प्लेटफार्म नम्बर 2 की तरफ से आया व सीट रोकने के चक्कर में बोगी में चढने लगा तो स्लीप हो गया तथा गेट पर लगे हत्थो को पकडे घसीटता हुआ चला गया।

3. यह कि यात्रियों का हल्ला-गुल्ला सुन कर लोको पायलेट द्वारा गाडी को रोका गया तो मैं भी दौडता हुआ दूसरी तरफ आया तो देखा कि उस व्यक्ति का पांव दोनो लाईनों के साईड में बिछी गिट्टीयो से रगड खाने से जूते फट गए व पांव भी छिल गया। उसे तुरन्त मेला यात्रियों की सहायता से प्लेटफार्म नम्बर 1 पर लिया गया।

4. यह कि स्टेशन मास्टर की सूचना पर एम्बूलेंस लेट होने पर जीआरपी / मेला बंदोबस्त के साथ ऑटो रिक्सा से लेकर राजकीय अस्पताल रामदेवरा पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार कर राजकीय अस्पताल पोकरण के लिए रैफर कर दिया गया, जिसकी सूचना व यात्री का नाम पता लेकर चौकी प्रभारी रामदेवरा को दिया गया।

(Reproduced as Verbatim)

15. In its cross examination on 08.01.2026:-

यह बात सही है कि घटना दिनांक 02.09.2022 को मेले के कारण रामदेवरा स्टेशन अत्याधिक भीड थी। मेरी ड्यूटी प्लेटफार्म नम्बर 01 पर थी। यह बात सही है कि मुझे हल्ला सुनने के उपरांत घटना की जानकारी हुई थी। मैने मृतक को ट्रेन से गिरते हुये नहीं देखा था।

(Reproduced as Verbatim)

16. In another affidavit of Sh. Kishan Lal Meena, ASI/RPF, Durgapura (RW-2) as under :

1. यह कि उक्त प्रकरण में जांच हेतु मुझे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जिसमें मैंने घटना सम्बन्धी समस्त दस्तावेज प्राप्त किए।

2. यह कि दौराने जांच श्री मोहन राम हैड कॉन्सटेबल रेलवे सुरक्षा बल चौकी रामदेवरा ने अपने बयानों में बताया कि दिनांक 02.09.2022 को उसकी ड्यूटी 08:00 से 16:00 पारी में रामदेवरा स्टेशन पर प्लेटफार्म, पीआरएस, सीए एरिया में थी। मेरी ड्यूटी के दौरान गाडी संख्या 14703 जैसलमेर लालगढ़ एक्सप्रेस के प्लेटफार्म पर आगमन के समय एक यात्री गाड़ी के विपरीत दिशा से प्लेटफार्म नम्बर 2 की तरफ से आया व सीट रोकने के चक्कर में बोगी में चढने लगा तो स्लीप हो गया तथा गेट पर लगे हैण्डल को पकड़े हुए घसीटता हुआ चला गया। यात्रियों का हल्ला-गुल्ला सुन लोको पायलट द्वारा गाड़ी को रोका गया। जिसे प्राथमिक उपचार कर राजकीय अस्पताल पोकरण के लिए रैफर कर दिया गया, जिसकी सूचना यात्री का नाम पता लेकर चौकी प्रभारी रामदेवरा को दिया गया।

3. यह कि गाडी संख्या 14703 के लोको पायलट श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व ट्रेन मैनेजर राजकमल शर्मा ने अपने बयानों में बताया कि दिनांक 02.09.2022 को गाडी के रामदेवरा यार्ड में घुसने के समय एक व्यक्ति ऑफ साईड से चलती गाडी में चढने का प्रयास करने के दौरान गिर कर घायल हो गया जिसकी सूचना तुरन्त वीएचएफ सेट पर स्टेशन मास्टर रामदेवरा को दी गई। मौके पर आरपीएफ व जीआरपी स्टॉफ के आने पर घायल व्यक्ति को उपचार हेतु लेकर गए। बाद सिग्नल मिलने पर गाडी को गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया।

4. यह कि उक्त घटना के समय हैड कान्सटेबल मोहन राम, रेसुब चौकी रामदेवरा व स्टेशन मास्टर धर्मेन्द्र कुमार द्वारा घायल सहीराम के कपड़ो की तलाशी में उसके पास कोई रेल टिकिट नहीं था ना ही कोई अन्य प्रमाण पत्र था। उसके बैग की तलाशी लेने पर दिनांक 01.09.2022 को इश्यू टिकिट नम्बर UDA44905179 व UTS No. 30ESDBE 058 डबली राठान से लालगढ़ तक पूर्व में की गई यात्रा का टिकिट मिला था। दिनांक 02.09.2022 को मृतक के पास गाडी संख्या 14703 से यात्रा करने के लिए कोई रेल टिकिट नहीं था।

5. यह कि घटना के समय मृतक रेल का सदभावी यात्री नही था। मृतक यदि यात्रियों के लिए बनाए गए प्लेटफार्म से गाडी में प्रवेश करता तो घटना का शिकार नहीं होता, ऑफ साईड से चलती ट्रेन में चढना उसका स्वयं का आपराधिक कृत्य है एवं उक्त घटना स्वयं को पहुंचायी गई क्षति के कारण हुई है। मृतक ने विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना रेल के भाग पर प्रवेश कर रेल अधिनियम की धारा 147 का अपराध किया है। रेल अधिनियम की धारा 124 क की उप धारा (क, ख, ग) के तहत उक्त घटना अनापेक्षित घटना की श्रेणी में नहीं होने के कारण रेल प्रशासन द्वारा कोई प्रतिकर संदेय नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

6. यह कि जांच रिपोर्ट डीआरएम रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(Reproduced as Verbatim)

17. In its cross examination on 19.03.2026:-

घटना की जांच मुझे घटना के 15 दिन बाद मिल गई थी। यह कहना सही है कि मैं घटनास्थल पर नहीं गया था। मैं जीआरपी से प्रकरण से संबंधित पत्रावली प्राप्त की थी। यह कहना सही है कि मृतक गाड़ी से गिरा था। घटना के समय मृतक घायल था। मृतक को अस्पताल लेकर गये थे। घायल अवस्था में आहत को अस्पताल जीआरपी /आरपीएफ दोनो अस्पताल लेकर गये थे। यह कहना सही है कि जीआरपी /आरपीएफ ने घटनास्थल पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। घटना दिनांक 01.09.2022 की है आहत की मृत्यु दिनांक 27.09.2022 को हुई थी। आहत के अस्पताल में भर्ती के समय मैं अस्पताल नहीं गया था। मुझे जांच के दौरान इस बात की जानकारी नहीं है कि घायल अपना यात्रा टिकिट अस्पताल में अपने ससुर को दे दिया था। यह कहना सही है कि लोको पायलेट ने घटना होते हुये नहीं देखी थी। यह कहना सही है कि पत्रावली पर लोको पायलेट व गार्ड के कथन पर तारीख व स्थान अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने लोको पायलेट व गार्ड के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये थे। यह कहना सही है कि घटना के समय रेलवे स्टेशन पर मेले की बहुत भीड थी।

(Reproduced as Verbatim)

18. Brief facts of the case are that Sahiram (hereinafter referred to deceased) on 25-08-2022, he went to have darshan of Baba Ramdevji and after having darshan of Baba Ramdevji, he came to Ramdeora railway station on 02-09-2022 to return home. He purchased a second class Mail/Express ticket number UDA 84237151 from Ramdevra to Kolayat on 02-09-2022 and boarded train number 14703 Jaisalmer-Lalgarh Express. Due to heavy rush of passengers in the train compartment due to the fair, he was forced to stand in the gallery near the gate of the compartment. When the train suddenly started moving, he fell from the compartment at Ramdeora railway station. Due to this sudden fall from the train compartment, he suffered serious injuries to both his legs and also to his head and other parts of the body. He was picked up from the spot in an injured condition and shown to the medical team present at the station due to Ramdeora Mela and was bandaged and taken to the

Scanned with OKEN Scanner

Government Hospital, Ramdeora for treatment, where he was given first aid. Upon receiving the information, the family members reached there and referred him for further treatment. They took him to PBM Hospital, Bikaner, where after giving him first aid, he was referred to Sawai Mansingh Hospital, Jaipur for further treatment. On 03.09.2022 his family admitted him to the trauma ward of Sawai Mansingh Hospital, Jaipur. Both of his legs were operated on, with his right leg amputated below the knee and his left leg above the knee. Due to the serious injuries sustained from falling from the train, he died during treatment at Sawai Mansingh Hospital, Jaipur, on the morning of 27.09.2022. During the necessary proceedings, the family of the deceased handed over the deceased's train ticket to GRP, which was seized by GRP through a report. He was a bona fide passenger on the train on the day of the incident.

19. As regards the happening of untoward incident, the applicants have relied upon the documents namely,

a) In Panchayatnama dated 27.09.2022 (Ex- A-5) :

"राय पंचान:- मृतक सहीराम की मौत रामदेवरा रेलवे स्टेशन जैसलमेर मे ट्रेन एक्सीडेंट से चोटग्रस्त होने पर दौराने ईलाज मृत्यु होना बताया। "

(Reproduced as Verbatim)

b) As per Postmortem Report (Ex- A-7) that the injuries sustained by the deceased are as under :

"1. Missing of distal two thirds of right leg with exposed bone, soft tissue and muscle with pus along with black hard scab around the wound s/o below knee surgical amputation with stump length of 14cm from knee cap.

2. Missing of left leg at knee cap with exposed bone, soft tissue and muscle with pus along with black hard scab around the wound s/o below knee surgical amputation with stump length of 43cm from anterior superior iliac spine.

Scanned with OKEN Scanner

3. Multiple abrasions of varying sizes from 12 cm x 2cm to 2cm x 2cm with hard black scab with hypo-pigmented areas around periphery present over right elbow, back of right hand and lateral aspect of lower half of right thigh."

"Cause of death is "SEPTICEMIA" consequent to secondary infection brought about as a result of ante-mortem injury NO. 1 and 2 mentioned in this PMR."

(Reproduced as Verbatim)

The injuries sustained by the deceased are indicative of falling from train.

20. Respondent railway has vehemently argued that the deceased fell down from the moving train from offside by his own negligence and committed suicide. However, the plea of the ld. counsel for the respondent is not acceptable as the Railways Act fastens strict liability on the respondent and this plea of negligent act by the respondent has been dealt by the Hon'ble Supreme Court in the case titled as **Union of India vs. Rina Devi (Civil Appeal No. 4945 of 2018 decided on May 9, 2018)** wherein in para 16.6 of the judgment, the Hon'ble Supreme Court has observed as under :-

"16.6 We are unable to uphold the above view as the concept of 'self-inflicted injury' would require intention to inflict such injury and not mere negligence of any particular degree. Doing so would amount to invoking the principle of contributory negligence which cannot be done in the case of liability based on 'no fault theory.' We may in this connection refer to judgment of this Court in ***United India Insurance Co. Ltd. Versus Sunil Kumar*** *laying down that plea of negligence of victim cannot be allowed in claim based on 'no fault theory' under Section 163A of the Motor Vehicles Act, 1988.Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de-boarding a train will be an 'untoward incident' entitling a victim to the compensation and will not fall under the*

Scanned with OKEN Scanner

proviso to Section 124A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."

21. We have supported in my views by authoritative judgment of **Hon'ble Delhi High Court delivered in case law titled as Sh. Surai Besra vs. Union of India (FAO No.474/2012, decided on 2nd April, 2014)**, where it was held that

"once the deceased is found to have a valid ticket of travel and was a bonafide passenger ordinarily and generally it should be held that the deceased died as a result of an untoward incident on account of a fall from the train, unless, there is evidence led on behalf of the Railways that the place of incident was either near the residence or near the place of work or deceased for some reason was required to be at the spot where his body was found."

22. In view of the discussion made here-in-above, We have no hesitation in holding that applicant was a bonafide passenger at the time of incident and it is a case of "Untoward Incident" as defined under section 123(c)(2) read with Section 124-A of the Railway Act, 1989. **Thus, the issue nos. 1 & 2 are decided in favour of the applicant.**

Issues No. 3 & 4

23. Case in hand has been filed before the Tribunal by Smt. Indra (wife of the deceased), Dali (minor daughter of the deceased), Gayatri (minor daughter of the deceased), Pinki (minor daughter of the deceased) and Smt. Radha (mother of the deceased) are the only dependents of the deceased. To prove the dependency, the applicants have filed copies of their Aadhar Cards (Exh. A-13 to A-17). On the contrary, no evidence whatsoever has been adduced on behalf of the respondent to contradict the case of the applicants on

the point of the dependency of the present applicants. Moreover, during the pendency of the claim application, none else appeared before the Tribunal, claiming himself/herself as dependent of the deceased.

24. This case pertains to untoward incident that occurred after amendment of the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules 1990 vide G.S.R. No. 1165(E) dt. 22.12.2016 which is applicable with effect from 01.01.2017. Therefore, in view of the above, the instant claim application is allowed and the applicants are awarded a sum of Rs. 8,00,000/- (Rupees Eight Lakh only) along with an interest @ 9% per annum from the date of incident i.e. 02.09.2022 till the depositing of the whole awarded amount by the respondent Railway Administration with the Additional Registrar of this Tribunal. Hence it is

आदेश

ORDERED

25. The claim application of the applicants is allowed. The respondent Railway Administration is directed to pay Rs. 8,00,000/- to the applicants as compensation along with an interest at the rate of 9% per annum from the date of incident i.e. 02.09.2022 till the date of depositing the whole awarded amount by the respondent Railway Administration in the Suitor's Money Account being maintained by the Additional Registrar of this Tribunal.

26. The respondent Railway Administration is hereby directed to deposit the amount awarded with the Additional Registrar of this Tribunal within a period of 30 days.

27. As regards disbursal of the amount of award, it may be seen that in Geeta Devi Vs Union of India, Delhi High Court has observed as under: -

"5. As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990 5.1. Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the awards. There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field. The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. The availability of bulk funds in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation. A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour.

28. The Hon'ble High Court went on to lay down the mode of payment and in pursuance of the Orders passed by the Delhi High Court, Government of India has issued a Notification of 3rd June, 2020 amending Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Amendment Rules, 2020, adding Rule 5 which reads as under: -

"5. Mode of payment—

5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimant, having due regard to the illiteracy or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable mode as shall subserve justice.

5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.

Scanned with OKEN Scanner

5.3 Nothing in this Rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exigencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.

5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 6th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in Geeta Devi VsUnion of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this Rule."

29. It is considered appropriate to distribute and disburse the amount as under:

Name of the applicants	*Amount*	*10% to be paid to the applicant immediately through ECS by NEFT/RTGS to the SB Account*	*Remaining amount to be invested in fixed deposit scheme of Nationalized Bank and the interest accrued thereon to be credited to SB Account of the applicants.*
Smt. Indra (wife of the deceased)	*4,00,000/-*	*Rs. 40,000/- (Rupees forty thousand only) along proportionate interest.*	*Rs. 3,60,000/- (Rupees Three lakh sixty thousand Only). This amount will be kept in the form of fixed deposit for a period of three years. However, the monthly interest accrued on the amount shall be credited to her SB Account.*
Dali (minor daughter of the deceased)	*1,00,000/-*	*-Nil-*	*Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh Only) alongwith proportionate interest. This amount will be kept in the form of fixed deposit till she attains majority. However, the monthly interest accrued on this amount shall be credited to her mother's SB Account for her maintenance and upbringing.*
Gayatri (minor daughter of the deceased)	*1,00,000/-*	*-Nil-*	*Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh Only) alongwith proportionate interest. This amount will be kept in the form of fixed deposit till she attains majority. However, the monthly interest accrued on this amount shall be credited to her mother's SB Account for her maintenance and upbringing.*

Scanned with OKEN Scanner

Pinki (minor daughter of the deceased)	1,00,000/-	-Nil-	Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh Only) alongwith proportionate interest. This amount will be kept in the form of fixed deposit till she attains majority. However, the monthly interest accrued on this amount shall be credited to her mother's SB Account for her maintenance and upbringing.
Smt. Radha (mother of the deceased)	1,00,000/-	Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) along proportionate interest.	Rs. 90,000/- (Rupees Ninety thousand Only). This amount will be kept in the form of fixed deposit for a period of three years. However, the monthly interest accrued on this amount, shall be credited to her SB Account.

30. The applicants are hereby directed to submit the details of their Aadhar linked Bank accounts of a Nationalized Bank situated nearest to their place of residence to the Additional Registrar of this Tribunal.

31. The Bank shall not permit any joint name(s) to be added in the saving Bank accounts or fixed deposit accounts of the applicants i.e. their Saving Bank Accounts shall be an individual Saving Bank Account and not a Joint Account.

32. The monthly interest be credited by Electronic Clearing System (ECS) in the said Saving Bank Accounts of the applicants near the place of their residence.

33. The maturity amounts of the FDRs be credited by Electronic Clearing System (ECS) in the said Saving Bank Accounts of the applicants.

34. No loan, advance, withdrawal, or pre-mature discharge be allowed on the fixed deposit without permission of the Tribunal.

35. The concerned Bank shall not issue any cheque book and/or debit card to the applicants. However, in case the debit card and/or cheque

Scanned with OKEN Scanner

book have already been issued, Bank shall cancel the same before the disbursement of award amount. The Bank shall freeze the accounts of the applicants so that no debit card be issued in respect of the accounts of the applicants from any other Branch of the Bank.

36. The Bank shall issue a letter duly signed and stamped in the name of the Additional Registrar of this Tribunal to the effect that no cheque book and/or debit card have been issued or will be issued without the permission of the Tribunal and the applicants shall produce the same before the Additional Registrar of this Tribunal. The Bank is further directed to permit the applicants to withdraw money from their Saving Bank Accounts by means of a withdrawal form only.

37. The respondent Railway Administration is also directed to place on record the proof of deposit of the award amount with up to date interest, if any along with a calculation sheet and the same shall be filed with the Additional Registrar.

38. In the facts and circumstances of the case, there is, however, no order as to costs.

39. Registry is directed to send a free certified copy of this judgment directly to the applicants at their postal address mentioned in the claim application by Speed Post in view of Rule 34 (3) of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989.

Judgment pronounced, signed and sealed in open court today i.e. **18.05.2026.**

(Rajeev Jain)
Member (Judicial)
RCT/Jaipur

(G.S. [illegible])
Member (Technical)
RCT/Jaipur

Scanned with OKEN Scanner